न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:–विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 85/2024 दायर दिनाँक 30.04.2024

वादीनी

1. कमला पत्नी स्व. ओम प्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी केराप जिला डीडवाना– कुचामन राज.।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. जगदीश पुत्र किरतुर
2. पुनम चंद पुत्र किरतुर
3. किरण पुत्री हेमराज
4. तारा पत्नी हेमराज
5. भगवती देवी पुत्री हेमराज
6. राजेन्द्रकुमार पुत्र हेमराज
7. ओम प्रकाश पुत्र हेमराज
8. कमलकिशोर पुत्र स्व. हरिप्रसाद नाबालिक जरिये संरक्षक माता संतोष
9. नीतु शर्मा पुत्री स्व. हरिप्रसाद नाबालिक जरिये संरक्षक माता संतोष
10. संतोष पत्नी हरिप्रसाद
11. सुमन शर्मा पुत्री हरी प्रसाद
12. संतोष देवी पुत्री रामदीन
13. सुमित्रा पत्नी श्रवणलाल
14. दिवाकर गौड पुत्र स्व. ओम प्रकाश
15. मुकुल शर्मा पुत्र स्व. ओम प्रकाश
16. ममता गौड़ पुत्री स्व. ओम प्रकाश
    समस्त निवासी केराप तहसील छोटी खाटू जिला डीडवाना कुचामन राज.।
17. तहसीलदार छोटी खाटू।

दावा बाबत्

बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा व रिकॉर्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा– 53,88,188 R.T.Act. , 136 L.R. Act.

उपस्थित:–

1. श्री केशव ओझा वकील वादीनी।
2. श्री अमित सिंह वकील प्रतिवादीगण 14, 15 तथा 16 ।

–::निर्णय ::–

दिनाँक12.02.2026

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि मौजा केराप, पटवार हल्का केराप, भू.अ.नि क्षेत्र केराप तहसील छोटी खाटू के खेत खसरा संख्या 1042 रकबा 4.7700 हैक्टेयर भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के मध्यविभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनाँक 10.07.2025को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार छोटीखाटू को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार छोटीखाटूने अपने पत्रांक भू.अ./2[illegible]/17 दिनाँक 06.11.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार छोटीखाटूद्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं।बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार छोटीखाटूसक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:24:27 IST
Reason: SelfAttested

vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

छोटीखाटूके द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः पत्रांकः भू.अ./2025/1793 दिनाँक 06.11.2025 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :–

–:: आदेश ::–

मौजा केराप, पटवार हल्का केराप, भू.अ.नि क्षेत्र केराप तहसील छोटी खाटू के खेत खसरा संख्या 1042 रकबा 4.7700 हैक्टेयर भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के मध्यघोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार छोटीखाटूसे प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः भू.अ./2025/1793 दिनाँक 06.11.2025 में वर्णितानुसार भूमि का पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते है।

तहसीलदार छोटीखाटूका विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः भू.अ./2025/1793 दिनाँक 06.11.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक12.02.2026को सरे इजलासमें सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:24:27 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः—सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास :विकास मोहन भाटी, **R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 85 / 2024 दायर दिनाँक 30.04.2024

वादीनी

1. कमला पत्नी स्व. ओम प्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी केराप जिला डीडवाना— कुचामन राज.।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. जगदीश पुत्र किस्तुर
2. पुनम चंद पुत्र किस्तुर
3. किरण पुत्री हेमराज
4. तारा पत्नी हेमराज
5. भगवती देवी पुत्री हेमराज
6. राजेन्द्रकुमार पुत्र हेमराज
7. ओम प्रकाश पुत्र हेमराज
8. कमलकिशोर पुत्र स्व. हरिप्रसाद नाबालिक जरिये संरक्षक माता संतोष
9. नीतु शर्मा पुत्री स्व. हरिप्रसाद नाबालिक जरिये संरक्षक माता संतोष
10. संतोष पत्नी हरिप्रसाद
11. सुमन शर्मा पुत्री हरी प्रसाद
12. संतोष देवी पुत्री रामदीन
13. सुमित्रा पत्नी श्रवणलाल
14. दिवाकर गौड पुत्र स्व. ओम प्रकाश
15. मुकुल शर्मा पुत्र स्व. ओम प्रकाश
16. ममता गौड़ पुत्री स्व. ओम प्रकाश समस्त निवासी केराप तहसील छोटी खाटू जिला डीडवाना कुचामन राज.।
17. तहसीलदार छोटी खाटू।

दावा बाबत्
बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा व रिकॉर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा– 53,88,188 R.T.Act. , 136 L.R. Act.

दिनाँक 12.02.2026

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री केशव ओझा वकील वादीया एवं श्री अमितसिंह वकील प्रतिवादी संख्या 14, 15 व 16की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर सरहद मौजा केराप, पटवार हल्का केराप, भू.अ.नि क्षेत्र केराप तहसील छोटी खाटू के खेत खसरा संख्या [illegible] रकबा 4.7700 हैक्टेयर भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी [illegible] बटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार छोटीखाटू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः भू.अ./2025/1793 दिनाँक 06.11.2025 में वर्णितानुसार भूमि का पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते है।

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:24:27 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार छोटीखाटू का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः भू.अ. /2025/1793 दिनाँक 06.11.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–.........

.........खर्चा इस मुकद्‌दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें।बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख12.02.2026को सरे इजलास मेंजारी की गयी।

vikas
सहायककलक्टर
डीडवाना

	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरियेदिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

vikas
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:24:27 IST
Reason: SelfAttested